संख्या-28/2024/001-1336-23-12-2024-23-12002-001-7-2024

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार तथा विभिन्न मार्गो पर सुरक्षा सम्बन्धी कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोण्डा, झांसी के कुल 08 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-289/01-आगणन फाईल/2024(193656), दिनांक 16.12.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दुर्घटना वाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार तथा विभिन्न मार्गो पर सुरक्षा सम्बन्धी कार्य योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोण्डा, झांसी के कुल 08 कार्यो के लिए कुल लागत रू0 524.93 लाख (रूपये पांच करोड़ चौबीस लाख तिरानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागत के सापेक्ष कुल रू0 262.45 लाख (रूपये दो करोड़ बासठ लाख पैंतालीस हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	जनपद/ खण्ड का नाम	विधान सभा	कार्य का नाम	द्वितीय चरण कार्ययोजना का क्रमांक	परीक्षणो परान्त लागत (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित आवंटन (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मध्य क्षेत्र	लखीमपुर खीरी/ नि0खं0 3	पलिया	वर्ष 2023 में चयनित सिसैया धौरहरा निघासन पलिया धनौराघाट पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग स0 101) पर बमनगर से मंहगापुर ब्लैक स्पॉट के सुधार का कार्य।	18	30.87	15.43
2	मध्य क्षेत्र	लखीमपुर खीरी/ नि0खं0 3	पलिया	वर्ष 2023 में चयनित सिसैया धौरहरा निघासन पलिया धनौराघाट पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्गस0 101) पर गुदरिया बाबा मंदिर स्पॉट केसुधार का कार्य।	19	13.17	6.58
3	मध्य क्षेत्र	लखीमपुर खीरी/ नि0खं0 3	पलिया	वर्ष 2024 में चिन्हित लखीमपुर-बिजुआ-भीरा- पलिया-दुधवा गौरीफण्टा मार्ग (राज्य मार्गसं0 90) पर ब्लैक स्पॉट बरमबाबा चौराहेका सुधार कार्य।	20	16.04	8.02
4	देवीपाटन गोण्डा	बहराईच/ प्रा0खं0	महसी	बहराईच-सीतापुर (एस0एच0 30बी) मार्ग के किमी0 8 व किमी 24 में ट्रक ले बाई का निर्माण कार्य	110	343.46	171.73
5	देवीपाटन गोण्डा	गोण्डा/ प्रा0खं0	मेहनौन	जनपद गोण्डा में प्रा0खं0 के अन्तर्गत महराजगंज गोकरन शिवाला मार्ग (अन्य जिलामार्ग)पर पड़ने वाले 03 चौराहे (चै0 0.00, 0.65 एवं 7.10) एवं 28 टी-जंक्शन (चै0 01.20, 2.10, 2.35, 2.80, 2.90, 3.00, 3.15, 3.25, 3.50, 3.80, 4.00, 4.30, 4.50, 4.70,	78	41.97	20.98

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

				5.10, 5.40, 5.60, 5.80, 6.00, 6.40, 6.60, 6.80 7.40, 7.60. 7.80, 8.00, 8.20, 8.40) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।			
6	देवीपाटन गोण्डा	गोण्डा/ प्रा0खं0	मेहनौन	जनपद गोण्डा में प्रा0खं0 के अन्तर्गत महराजगंज खरगूपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)पर पड़ने वाले 01 चौराहे (चै0 3.80) एवं 09 टी-जंक्शन (चै0 1.10, 1.80, 2.50, 4.30, 5.10, 6.2, 6.50, 7.10 एवं 8.30) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	79	21.84	10.92
7	देवीपाटन गोण्डा	गोण्डा/ प्रा0खं0	मेहनौन	जनपद गोण्डा में प्रा0खं0 के अन्तर्गत भवनिया भगवानपुर गणेशपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)पर पड़ने वाले 03 चौराहे (चै03.30, 4.20 एवं 4.70) एवं 10 टी-जंक्शन (चै0 0.00, 1.50, 2.50, 2.70, 4.90, 5.30, 5.50, 6.40, 6.80, 7.00) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	80	22.72	11.36
8	झांसी	झांसी/ प्रा0खं0	मऊरानी पुर/ गरौठा	जनपद झांसी में बरूआसागर-टहरौली- गरौठा मार्ग (प्र0जि0मा0- 48बी) पर पड़ने वाले 02 चैराहे एवं 09 टी जंक्शन पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	64	34.86	17.43
				कुल योग-		**524.93**	**262.45**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2- प्रश्नगत परियोजनाओं का कार्य शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त 06 माह में पूर्ण कर लिया जाय तथा उक्त परियोजनाओं का भविष्य में पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

6- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्य में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

7- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- ए-2-23/दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-7-2-1606/दस-2014- 17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्ययाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

8- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

9- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

10- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

11- विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

12- जी०एस०टी० की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

13- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

14- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

15- लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय जाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04- 2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्तां (मु०-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली क्षेत्रीय अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

17- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- उपरिलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्य प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 2,62,45,000 (रूपये दो करोड़ बासठ लाख पैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दयीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-650-एक्स-2024-25, दिनांक- 16-01-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रिपुन्जय गुप्ता)
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०प्रयागराज।

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक लोक निर्माण विभाग लखनऊ।

6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

8- संबंधित अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।

9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र०शासन।

10- अधीक्षण अभियन्ता आई0डी0एस0 वृत्त लोक निर्माण विभाग लखनऊ।

11- नोडल अधिकारी, (ऑनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम)लोक निर्माण विभाग उ०प्र०शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुन्जय गुप्ता)

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।